संख्या–737 /43–2–2012

प्रेषक,

अनीता सिंह,
सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनॉक : 16 मई, 2012

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंर्तगत विभागों से प्रत्येक माह में प्राप्त/ लम्बित/निस्तारित आवेदन पत्रों की स्थिति की सूचना प्राप्त करने विषयक।

महोदय,

कृपया मुख्य सचिव के अर्द्व शासकीय पत्र संख्या–1231/43–2–2008, दिनॉक 01 दिसंबर, 2008, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विभागों में प्राप्त/ लम्बित/ निस्तारित आवेदन पत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र पर संकलित सूचना प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध कराने विषयक है। उक्त पत्र के कम में विभागों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त लम्बित आवेदन पत्रों की संकलित सूचना नियमित रूप से प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रेषित की जाती है।

2– प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विभागों में प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारित/लम्बित होने की स्थिति की संकलित सूचना अब प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक विभाग अपने स्तर पर अपने अधीनस्थ संगठनों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त/लम्बित/निस्तारित आवेदन पत्रों की संकलित सूचना तैयार करें तथा इस आशय से समीक्षा करें कि राज्य सूचना आयोग में आवेदनकर्ता द्वारा कम से कम अपीलें दायर की जायें।

भवदीया,

(अनीता सिंह)
सचिव।